न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 17/2021

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चक 14 केएचएम तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. शायर कंवर पत्नी रुघसिंह जाति राजपूत निवासी चक 13 केएचएम तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. विक्रमसिंह पुत्र रुघसिंह जाति राजपूत निवासी चक 13 केएचएम खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. इन्द्राज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 14 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. हसणखां पुत्र फैजूखां जाति मुसलमान निवासी चक 13 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रफीकशाह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जयवीरसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1,2 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: आदेश :– दिनांक :– 30.01.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की खातेदार कृषि भूमि वाके तहसील खाजूवाला का चक 13 केएचएम का मु0नं0 19/64 के किला नं0 2,3,8,9 की 04.00 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के इसी मु0 नं0 19/64 के किला नं0 14 ता 25 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 11.10 बीघा कमाण्ड अप्रार्थी सं0 01 व 02 के नाम से खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। किला नं0 10 अप्रार्थी सं0 4 हसणखां पुत्र फैजूखां के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। किला नं0 1,11 अप्रार्थी सं0 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुख्य रास्ता अप्रार्थी सं0 1, 2 के मु0नं0 19/64 के किला नं0 21 ता 25 में कटानशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसीतरह यह रास्ता आगे के मुरब्बों में से भी होकर गुजरता है लेकिन प्रार्थी के मु0नं0 19/64 के किला नं0 20 में बनी ढ़ाणी व भूमि के लिए कोई रास्ता नहीं लगता है। इस मुरब्बा की प्रार्थी के हिस्से आयी कृषि भूमि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के पीछे स्थित है। जिसपर आने जाने के लिए व मुख्य रास्ता तक पहुंचने के लिए अप्रार्थी सं0 1 व 4 के हिस्से की भूमि वादगत मु0नं0 19/64 के किला नं0 1,10,11,20,21 में से होकर गुजरना पड़ता है। इसपर 2–2 बिस्वा चौड़ा अस्थाई रास्ता बना हुआ है एवं उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड अंकन बतौर कटानी रास्ता दर्ज करवाना चाहता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 3 ने किला नं0 11 में 2 बिस्वा रास्ता कटान करने में सहमति प्रदान की। अप्रार्थी सं0 4 बावजूद तलवी हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जयवीरसिंह ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थी सं0 1, 2 के नाम धारिज कृषि भूमि पहले प्रार्थी व उसके भाई इन्द्राज तथा एक अन्य तीसरे भाई के नाम से खातेदारी थी। इन्होंने ही अप्रार्थी सं0 1, 2 को मुरब्बा नं0 19/64 का किला नं0 4 ता 7, 14 ता 25 की 16.00 बीघा जरिये बैयनामा विक्रय की थी। अगर इनको उक्त भूमि में मार्ग रखना था तो यह अप्रार्थी से पहले उन्ही के नाम थी। उस वक्त ही अपना रास्ता रखकर शेष भूमि अप्रार्थी सं0 1, 2 को विक्रय करते है। प्रार्थी की कृषि भूमि किला नं0 21 ता 25 में पूर्व से ही एक रास्ता स्वीकृत है तथा किला नं0 21 व 21 में पानी का खाला जाता है जिसमें उसकी करीब 14 बिस्वा भूमि कम हो गई तथा प्रार्थी की स्वंय की ढ़ाणी किला नं0 17 में बनी हुई है। जिसको आने–जाने के लिए किला नं0 17, 25 में रास्ता छोड़ रखा है। इसप्रकार प्रार्थी की खाला एवं रास्तों में काफी भूमि कम हो चुकी है इसके अलावा अगर प्रार्थी को अगर किला नं0 20, 21 में ओर रास्ता कटान कर दिया जाता है तो उसकी भूमि के टुकड़े–टुकड़े हो जाएगें जो कि उपनिवेशन के नियमों के विपरीत है। अप्रार्थी सं0 4 हसणखां के नाम इसी चक का मुरब्बा नं0 19/56 के किला नं0 12 ता 25 में 3.2244 है0 तथा प्रार्थी के भाई इन्द्राज के नाम से इसी मुरब्बा नं0 19/56 में किला नं0 1 ता 5 कृषि भूमि है जिससे होकर वह अपने भाई इन्द्राज के किला नं0 5 में से होकर मुरब्बा नं0 19/64 के किला नं0 1 में प्रवेश करता है तथा उसकी किला नं0 2,3,8,9 उसकी खातेदारी भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3 दोनों सगे भाई है उनके आने–जाने का मार्ग मुरब्बा नं0 19/56 से चालू है फिर भी उन्होनें झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है। फिर भी अगर वह मेरे किला नं0 17, 25 से मेरा स्वंय की ढ़ाणी का रास्ता आता है और किला नं0 14 के चिपता ही किला नं0 13 है जो कि उसके सगे भाई इन्द्राज का है अगर उक्त किलों से वह प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता कटवाता है और बदले में अप्रार्थी सं0 1 व 2 को किला नं0 3 व 8 में 2–2 बिस्वा भूमि तबादले में देता है तो वह उसको रास्ता देने को तैयार है। वास्तविक रूप से रास्ता मुरब्बा नं0 19/56 में स्वीकृत करवाना चाहिए ताकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 तीनों के वह रास्ता काम आता है व सहुलियत व सुविधा रहेगी।

पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक चक 13 केएचएम मु0नं0 19/64 के किला नं0 1,10,11,20,21 में प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है। किला नं0 1 व 11 सालम इन्द्राज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 14 केएचएम खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा दन्तौर दर्ज रिकॉर्ड है। किला नं0 10 सालम हसण खां पुत्र फेजुखां जाति मुसलमान निवासी दन्तौर खातेदार रहन एसबीआई शाखा खाजूवाला दर्ज रिकॉर्ड है। किला नं0 20 सालम व 21/2 भूमि विक्रमसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा 1/2, सायरकंवर पत्नी रूपसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत निवासी 13 केएचएम खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा दन्तौर दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में मौके पर उक्त किला में फसल काश्त की हुई है। तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई ।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 13 केएचएम के मु0नं0 19/64 के किला नं0 1,10,11,20,21 दक्षिण से उतर की ओर सींव के चिपते चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थीगण उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)